कमिश्नर वाणिज्य कर, उार प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उार प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री भारत ट्रेडर्स, सहावर, जिला-कांशीराम नगर (कांसगज) ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**056 / 09, 05.06.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री भारत ट्रेडर्स, सहावर, जिला-कांशीराम नगर (कांसगंज) द्वारा दिनांक 05.06.2009 को उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि '' कर योग्य सीमा से कम बिक्री होने पर, कर लगना चाहिए या नही ं।''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 07.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । एक लिखित उार दिनांक 15.04.2010 को दिया, जिसमें कहा गया कि मेरे प्रार्थना-पत्र का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर कर दिया जाये ।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी प्लास्टिक स्क्रैप की खरीद-बिक्री के लिए वाणिज्य कर विभाग में टिन नम्बर-09125902421 पर, पंजीकृत हैं । उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3 के उपनियम-3 के क्रमांक-9 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार '' यदि किसी व्यापारी ने स्वेच्छा से पंजीयन लिया है तो उसकी करदेयता होगी ''। चूँकि प्रार्थी द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन प्राप्त किया गया है और वह पंजीकृत व्यापारी हैं । अत: उक्त प्राविधान के आलोक में, कर योग्य सीमा से कम बिक्री होने की स्थिति में करदेयता बनती है ।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों तथा विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उार प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-3 के उपनियम-3 में प्राविधान है कि इसमें अंकित टेबल के कालम-2 में अंकित व्यापारियों की खरीद या बिक्री या दोनों पर करदेयता कालम-3 में अंकित तिथि से होगी । इसके क्रमांक-9 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Sl. N0.	Class of dealers	Date
9.	Dealers who do not fall in any of the classes mentioned against Seria; No. 1 to 8 above and who obtain registration certificate voluntarily under section 18.	Date from which registration certificate is effective.

उक्त प्राविधान से स्पष्ट है कि यदि किसी व्यापारी ने स्वेच्छा से पंजीयन लिया है तो पंजीयन की तिथि से उसकी करदेयता होगी । चूँकि प्रार्थी पंजीकृत व्यापारी हैं । अत: उक्त प्राविधानों के अनुसार कर योग्य सीमा

...2

से कम बिक्री होने पर भी, करदेयता होगी ।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उार उपरोक्तानुसार दिया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 20 अगस्त, 2013 ह0 / 20.08.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उार प्रदेश, लखनऊ ।